

# कार्यालय अंचल अधिकारी, करर्।

आदेश फलक

अभिलेख वाद सं०— 247 / 2016-17

वाद का प्रकार:— बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित

आदेश का क्रमांक सं० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई की टिप्पणी
27.10.2020	<p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-03 खा०म०नि०-119/85/2308/रा० दिनांक:- 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०-914/रा०, दिनांक:-09.12.1198 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-  मौजा 38 थाना नं० 09 खाता नं० 55 खेसरा नं० 1280  1935, 1937, 1250 रकबा 7.57 एकड. की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनावार बिहार (झारखण्ड) के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी- II के जिल्द संख्या I के पृष्ठ संख्या 68 पर जमाबंदी रैयत <u>सिद्ध</u>  <u>मुष्ट</u>  पिता/पति <u>अरजुन मुष्ट</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।  हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण बंदोबस्ती के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य का क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी का अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकारी को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक 02/11/2020 को रखें।</p> <p>लेखापति एवं संशोधित  अंचल अधिकारी  करर्।</p>	<p>की गई कार्रवाई की टिप्पणी</p>

अंचल अधिकारी  
करर्।

आदेश का क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
02.12.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत के द्वारा उपस्थिति दी गई है। जमाबंदी रैयत गब्रियल मुण्डा पिता मारकुस मुण्डा के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में सरकारी लगान रसीद सं०- 00227 वर्ष 2014-15 की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है ,</p> <p>जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा इटटे, थाना नं० 09 के सर्वे खतियान में खाता सं० 55, प्लॉट सं० 1780,1935,1931 एवं 1250 गैरमजुरुआ खास दर्ज है।</p> <p>राजस्व मांग पंजी II भाग I के पृष्ठ सं० 68 में छोटा गब्रियल मुण्डा पिता मारकुस मुण्डा के नाम से दर्ज है। कार्यालय में उपलब्ध भूदान पंजी में छोटा गब्रियल मुण्डा पिता मारकुस मुण्डा दर्ज है। प्रश्नगत भूमि पर संबंधित पक्ष का 45 वर्षों से दखल-कब्जा है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा खाता सं० 55 प्लॉट सं० 1780,1935,1931 एवं 1250, रकबा क्रमश 0.35,6.32,0.06, एवं 0.84 कुल रकबा 7.57 एकड़ भूमि की जमाबंदी के नियमितिकरण करने का अनुशंसा किया गया है।</p> <p>राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर इस वाद की कार्रवाई तत्काल समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित संशोधित।</p> <p>अंचल अधिकारी कर्रा।</p> <p>अंचल अधिकारी कर्रा।</p>	